मु.नं. 04/2019 प्रभात / शीशपाल व अन्य

03/12/20 प.क्र. 3540 | बहस सुनी गई | पत्रावली वास्ते अवलोकन / आदेश दिनांक 22/12/20 को पेश हो।

22/12/20 प.क्र. 3540 | पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर, डिक्री किया जाता है निर्णय व डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज निम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:47:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–04/2019

उनवान

प्रभात दत्तक पुत्र श्री चिमना, जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र श्री मंगला, जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

निर्णय

दिनांक :–22.12.2020

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी वाके ग्राम चेता का बास, पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार व्यक्ति है, जोकि काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वाके ग्राम चेता का बास, पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी साबिक खसरा नं0 532 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नं0 1825 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 1826 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 1834/2415 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1835 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 1836 रकबा 0.83 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 4.07 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जोकि भूमि विवादग्रस्त है। भूमि विवादग्रस्त जोकि वादी व प्रतिवादी सं0 1 की खरीद शुदा भूमियां हैं, उक्त भूमि के साबिक खातेदार मु0 चान्द बैवा भोरी लाल, जाति सुनार, निवासी ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर से जरिये विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त वि[illegible] भूमि में वादी का [illegible] 1/3 व प्रतिवादी का हिस्सा 1/3 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज [illegible] चली आ रही है। मुताबिक खातेदारी अनुसार वादी व प्र[illegible] काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान सरकारी अदा कर[illegible]ते चले आ रहे हैं। भूमि विवादग्रस्त में वादी व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा भूमि का विक्रय प[illegible]नवाते समय विक्रय पत्र में वादी का नाम वादी की वल्दियत प्रभात दत्तक पुत्र चिमना के स्थान पर प्रभात पुत्र मंगला

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:47:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु0सं0—04 / 2019
उनवान—प्रभात बनाम शिशपाल वगै0
निर्णय दिनांकः—22.12.2020

दर्ज हो गया, क्योंकि वादी व प्रतिवादी सं0 1 मंगला के पुत्र हैं, लेकिन वादी करीब 40 वर्ष पूर्व ही चिमना के गोद चला गया था एवं चिमना की अन्य खातेदारी भूमि खाता सं0 19 व खाता संख्या पुराना 18 में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि का हिस्सा 1/3 भाग भी चिमना के गोद जाने के बाद ही भूमि खरीद की थी, उक्त भूमि को खरीद के समय वादी ने अपनी वल्दियत का नाम सहवन से मंगला दर्ज करवा दिया था, जिससे वादी की वल्दियत में वादी के दत्तक पिता चिमना का नाम दर्ज नहीं हो पाया। वादी के पिता का नाम मंगला दर्ज होने की जानकारी वादी को तब हुई जब दिनांक 08.12.2018 को वादी ने पटवार हल्का से बैंक से के.सी.सी. बनवाने हेतु जमाबंदी ली तथा बैंक में जमाबन्दी दिखाने पर बैंकवालों द्वारा वल्दियत अलग—अलग होने से ऋण देने से इन्कार कर दिया गया तथा वल्दियत का नात दुरुस्त करवाने को कहा गया। यदि विवादग्रस्त भूमि में वादी के वल्दियत का नाम दुरुस्त नहीं करवाया गया तो वादी अपनी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का विकास नहीं करवा सकेगा तथा भूमि ऋण भी बैंक से प्राप्त नहीं कर सकेगा, जिससे वादी के हक व अधिकारों पर कुठारघात होगा। वादी द्वारा वादपत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि भूमि विवादग्रस्त में वादी की वल्दियत प्रभात पुत्र मंगला के स्थान पर प्रभात दत्तक पुत्र चिमना दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विवादित भूमि में वादी की वल्दियत में पिता का नाम मंगला को हजफ फरमाया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती करवायी जावे।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जवाब वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी वाके ग्राम चेता का बास, पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार व्यक्ति है। वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी का हिस्सा 1/3 एवं शेष 1/3 हिस्सा अन्य खातेदारान का है। वादी की वल्दियत दत्तक पुत्र चिमना है, जो सही है तथा वादी मंगला के जीवनकाल में ही चिमना के गोद चला गया था, इसिलिए वादी अपनी वल्दियत को यदि दुरुस्त करवाता है तो मिन प्रतिवादी सं0 1 को इसमें कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं है, क्योंकि वादी की वल्दियत में मंगला का नाम गलत दर्ज हुआ है, वादी की वल्दियत में दत्तक पुत्र चिमना किया जाना सही है।

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर वादपत्र को राजीनामे के आधार पर डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील वादी व प्रतिवादी ने राजीनामे के आधार पर वादपत्र को डिक्री किया जाकर वादी की वल्दियत दुरुस्त करवाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, का गहनता से अवलोकन किया गया। चूंकि वादपत्र घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज का है, जिसमें वादी की वल्दियत प्रभात पुत्र मंगला से दुरुस्त कर प्रभात दत्तक पुत्र चिमना दर्ज करवाया जाना है। पत्रावली [illegible] ने, खाता सं0 19 की जमाबन्दी, वादी का आधार कार्ड, वर्ष 2000 में [illegible] कार्ड आदि दस्तावेजात में वादी की वल्दियत प्रभात पुत्र [illegible] व राजीनामे के प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 [illegible] वल्दियत दुरुस्ती पर कोई ऐतराज नहीं है। न्यायालय अभिमत में वादी की व[illegible]त प्रभात पुत्र मंगला से दुरुस्त कर प्रभात दत्तक पुत्र चिमना दर्ज करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:47:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु0सं0–04/2019
उनवान–प्रभात बनाम शिशपाल वगै0
निर्णय दिनांकः–22.12.2020

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके ग्राम चेता का बास, पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी साबिक खसरा नं0 532 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नं0 1825 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 1826 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 1834/2415 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1835 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 1836 रकबा 0.83 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 4.07 हैक्टेयर भूमि में वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि में वादी की वल्दियत प्रभात पुत्र मंगला के स्थान पर प्रभात दत्तक पुत्र चिमना दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौमूं

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:47:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु0सं0–04 / 2019
उनवान–प्रभात बनाम शिशपाल वगै0
निर्णय दिनांकः–22.12.2020

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (R.A.S.)

उनवान

प्रभात दत्तक पुत्र श्री चिमना, जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र श्री मंगला, जाति जाट, निवासी ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं0:–04 / 2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती निशा सहारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम चेता का बास, पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी साबिक खसरा नं0 532 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नं0 1825 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 1826 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 1834 / 2415 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1835 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 1836 रकबा 0.83 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 4.07 हैक्टेयर भूमि में वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि में वादी की वल्दियत प्रभात पुत्र मंगला के स्थान पर प्रभात दत्तक पुत्र चिमना दर्ज कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आ[illegible]ख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के [illegible] तारीख 22.12.2020 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:47:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु0सं0—04 / 2019
उनवान—प्रभात बनाम शिशपाल वगै0
निर्णय दिनांकः—22.12.2020

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा.......... सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:47:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner